Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
January 2024 5(1), 1308–1313

ANALYTICAL STUDY OF MAIN PROVISIONS OF COMPETITION ACT 2002

प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के मुख्य प्रावधानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Dr. Anjay Kumar [1], Dr. Ajay Sonawane [2]

[1] Assistant Professor, Faculty of Law, University of Delhi
[2] Assistant Professor, Faculty of Law, University of Delhi

ABSTRACT

English: Change is the law of nature; therefore law has to change with the changing needs of the society. A law once enacted has to respond to the needs of the time. Time changes, needs changes, but very often the laws lag behind. It is the duty of the State to keep the existing laws updated. The old laws have to be altered, amended or replaced, while at times new laws have to be created to replace the existing laws. Competition law (Competition Act 2002) is enacted to replace the MRTP Act, 1969. Competition is inherent in human nature and therefore no question destroys the competition. Roots of competition law are very deeply rooted. Competition is a process that requires numerous participants and decentralisation. Competition law has been described as the Magna Carta of free enterprise. Competition law is very important to the preservation of economic freedom and our free enterprise system. Competition law is required to provide a regulative force which establishes effective control over economic activities. This paper aimed at the study of the Competition Act, 2002 and MRTP Act, 1969 enactments, and comparison between them along substantive provisions of law in the Competition Act, 2002 i.., Agreement having Appreciable Adverse Effect on competition (AAEC), Abuse of Dominant Position and Regulation of Combination.

Hindi: परिवर्तन प्रकृति का नियम है; इसलिए समाज की बदलती जरूरतों के साथ कानून को बदलना होगा। एक बार कानून बनने के बाद उसे समय की जरूरतों का जवाब देना होता है। समय बदलता है, जरूरतें बदलती हैं, लेकिन अक्सर कानून पीछे रह जाते हैं। मौजूदा कानूनों को अद्यतन रखना राज्य का कर्तव्य है। पुराने कानूनों को बदलना, संशोधित करना या प्रतिस्थापित करना पड़ता है, जबकि कभी-कभी मौजूदा कानूनों को बदलने के लिए नए कानून बनाने पड़ते हैं। प्रतिस्पर्धा कानून (प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002) एमआरटीपी अधिनियम, 1969 को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। प्रतिस्पर्धा मानव स्वभाव में अंतर्निहित है और इसलिए प्रतिस्पर्धा को नष्ट करने का कोई सवाल ही नहीं है। प्रतिस्पर्धा कानून की जड़ें बहुत गहराई तक जमी हुई हैं। प्रतिस्पर्धा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई प्रतिभागियों और विकेंद्रीकरण की आवश्यकता होती है। प्रतिस्पर्धा कानून को मुक्त उद्यम का मैग्ना कार्टा बताया गया है। प्रतिस्पर्धा कानून आर्थिक स्वतंत्रता और हमारी मुक्त उद्यम प्रणाली के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धा कानून को एक नियामक शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है जो आर्थिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करे। इस पेपर का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और एमआरटीपी अधिनियम, 1969 अधिनियमों का अध्ययन करना और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में कानून के मूल प्रावधानों के साथ उनके बीच तुलना करना है, प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव वाले समझौते (एएईसी), दुरुपयोग। प्रमुख स्थिति और संयोजन का विनियमन।

Keywords: Competition Law, AAEC, Dominant Position, Merger, MRTP, प्रतिस्पर्धा कानून, एएईसी, प्रमुख स्थिति, विलय, एमआरटीपी

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.3174

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

1. प्रस्तावना

मानवीय प्रकृति में प्रतिस्पर्धा अंतर्निहित है, अत: इसका संरक्षण और समुन्नयन जरूरी है। प्रतिस्पर्धा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए बहुत अधिक प्रतिभागियों और विकेंद्रीकरण की आवश्यकता होती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा विधि को निर्बाध उद्यम के *मैग्ना कार्टा* की संज्ञा दी जा सकती है। आर्थिक

स्वतंत्रता और मुक्त उद्यम प्रणाली के संरक्षण में प्रतिस्पर्धा विधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रतिस्पर्धा विधि एक विनियामकीय बल प्रदान करती है तो आर्थिक क्रियाकलापों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करता है।

प्रतिस्पर्धा क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो प्रतिस्पर्धा सर्वोच्चता के लिए संघर्ष या लड़ाई है तथा कोरपोरेट जगत में यह शब्द सामान्यतया एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है जहाँ व्यापारिक उद्यम अपने उत्पाद के लिए ग्राहक प्राप्त करने हेतु परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिस्पर्धा बाजार में एक ऐसी स्थिती है जिसमें कंपनियाँ या विक्रेता लाभ, बिक्री या बाजार हिस्सेदारी जैसे विशिष्ट व्यवसायिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए खरीददारों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयास करते हैं। प्रतिस्पर्धा एक पीढ़ियों पुरानी रिवायत है और यह बाजार दबाव का एक प्रकार है, जिसका प्रयोग करते हुए पिछलग्गुओं को दण्डित किया जाता है और उद्यमशीलों को पुरस्कृत किया जाता है तथा इस रीति से आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दिया जाता है।

प्रतिस्पर्धा ग्राहक आकर्षित करने के लिए बाजार के खिलाड़ियों के बीच की आर्थिक प्रतिद्वंद्विता की एक प्रक्रिया है। मुक्त और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा किसी दक्ष कारोबारी परिवेश के मुख्य स्तंभों में से एक है। अधिक परिमाण में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संवृद्धि संभावना को प्राप्त करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता है। प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता को सुधारती है, कीमतों में कमी करती है तथा लोगों को किसी उत्पाद या सेवा को खरीदने के आकर्षण के बारे में जागरूक करती है।

परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार विधि को भी परिवर्तित होना पड़ता है। किसी समय अधिनियमित की गई विधि को वक्त की जरूरतों का प्रत्युत्तर देना होता है। समय और जरूरतें बदल जाती हैं किन्तु अक्सर विधियां पीछे छूट जाती है। वर्तमान विधियों को अद्यतन रखना राज्य का दायित्व है। पुरानी विधियों को उपांतरित, संशोधित या प्रतिस्थापित करना होता है जबकि बहुधा वर्तमान विधियों को नई विधियों से प्रतिस्थापित करना होता है। एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं अधिनियम (संक्षेप में, एमआरटीपी अधिनियम) 1969 को प्रतिस्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम विधि अधिनियमित की गई है।

विश्व अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के साथ ही, त्वरित आर्थिक विकास हेतु प्रतिस्पर्धा को को बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाते हुए नियंत्रणों को हटाकर अपनी अर्थव्यवस्था को खोला है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय बाजार बाहरी विश्व से प्रतिस्पर्धा का सामना करने को तैयार हुआ है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धात्मक विधियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकासक्रमों के प्रकाश में पुराना एमआरटीपी एक्ट कतिपय मामलों में अप्रासंगिक हो गया था। अत:, हमारा ध्यान एकाधिकारवादिता से हटाकर प्रतिस्पर्धा की ओर किए जाने की जरूरत उत्पन्न हुई। इस संदर्भ में, हानिकारक वाणिज्यिक प्रथाओं पर विराम लगाने, एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने और भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढावा देने की दृष्टि से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का अधिनियमन करना जरूरी हो गया है। पुराना एमआरटीपी अधिनियम कायांतरित होकर प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के रूप में सामने आया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 ने भारत में प्रतिस्पर्धा विधि का मार्ग प्रशस्त किया है।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रमुख तत्व: प्रतिस्पर्धा अधिनियम के चार महत्वपूर्ण उपबंध हैं- प्रतिस्पर्धात्मक-रोधी समझौते (एसीए) का प्रतिषेध, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरूपयोग का प्रतिषेध, युग्मन-आमेलन और समामेलन, अर्जन और अधिग्रहण का विनियमन और प्रतिस्पर्धात्मक वकालत. इन उपबंधों को आगे व्यवहार उन्मुखी और संरचना उन्मुखी के रूप में उप-विभाजित किया जा सकता है।

1. **प्रतिस्पर्धात्मक-रोधी समझौते :** इस श्रेणी में वे समझौते आते हैं जो भारत में प्रतिस्पर्धा पर श्लांघनीय प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना रखते हैं। उद्यम ऐसे समझौते करते हैं जो प्रतिस्पर्धा सीमित करने की संभावना रखते हैं। वस्तुओं अथवा सेवाओं के आपूर्तिकर्त्ताओं के मध्य नपी-तुली प्रतिस्पर्धा तर्कसंगत स्तर पर कीमतों का स्थिरीकरण करती है। वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता बाजार में अनुचित प्रथाओं से पूर्—निर्धारित स्तर पर अपने लाभों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इसे विविध रीतियों से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। मूल्य-स्थिरीकरण के लिए समझौते, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सीमित करना, बाजार को विभाजित करना, उत्पादन के स्त्रोत साझा करना, इत्यादि प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के सामान्य तरीके हैं। जहाँ प्रतिस्पर्धा एक सीमा तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, ऐसे समझौते अपनी प्रकृति में प्रतिस्पर्धा-रोधी होंगे।

भारतीय प्रतिस्पर्धा विधि और विशेष रूप से अधिनियम के अध्याय दो का गहन निरीक्षण दर्शाता है कि यह समझौते दो प्रकार के- क्षैतिजीय समझौते और उर्ध्वाधर समझौते, हो सकते हैं। क्षैतिजीय समझौते प्रतिस्पर्धियों के मध्य होते हैं जबकि उर्ध्वाधर समझौते एक-दूसरे को खरीद अथवा बिक्री के वास्तविक अथवा संभावित समझौते से संबंधित होते हैं। अधिकांश प्रतिस्पर्धा विधियां क्षैतिजीय समझौतों की तुलना में उर्ध्वाधर समझौतों को अधिक उदार दृष्टि से देखती हैं क्योंकि मोटे तौर पर विक्रेता-क्रेता संबंध में फर्मों के बीच समझौतों की तुलना में क्षैतिजीय समझौतों द्वारा प्रतिस्पर्धा को हानि पहुँचाए जाने की संभावना अधिक रहती है। यह समान उत्पाद या उत्पादों में कारोबार करने वाले उद्यमों के बीच समझौता है।

धारा 3 में प्रयुक्त शब्दों की रूपरेखा:

1. **समझौता:** समझौते का अर्थ समावेशी होता है और यह भारतीय प्रसंविदा अधिनियम में यथा प्रदत्त केवल परंपरागत रीति से समझे जाने समझौते को ही कवर नहीं करता है बल्कि किसी भी "समझौते" या "समझ" या "सहमतिपूर्वक कार्रवाई" को भी समाहित करता है। "सहमतिपूर्वक कार्रवाई" की अभिव्यक्ति "समझौते" या "समझ" की तुलना में कम औपचारिक है। यहां तक कि समझौते के पक्षकारों का समझौते के प्रति इरादा नहीं हो तो भी अधिनियम के प्रयोजनार्थ यह समझौता मान्य होगा और विधिक कार्रवाईयों के द्वारा प्रवर्तनीय समझ या कार्रवाई होगा।

2. **भारत में प्रतिस्पर्धा संबंधी श्लांघनीय प्रतिकूल प्रभाव:** कोई समझौता प्रतिस्पर्धा-रोधी होगा यदि इसका प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अधिनियम के अंतर्गत "प्रतिस्पर्धा संबंधी श्लांघनीय प्रतिकूल प्रभाव" को परिभाषित नहीं किया गया है, प्रत्येक मामले को एक-एक करके देखना होता है और व्यवसाय विशिष्ट तथ्यों पर विचार करते हुए उन पर विचार करना होता है। धारा 3 के अंतर्गत किसी समझौते के प्रतिस्पर्धा संबंधी श्लांघनीय प्रतिकूल प्रभाव का निर्धारण करते समय आयोग धारा 19 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट सभी छह कारकों या किसी कारक पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा।
3. **गठझौड़/कार्टेल:** "कार्टेल" की तीन घटक हैं (क) समझौता, जिसमें समझौते या समझ शामिल हैं, (ख) समझौता वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के समान व्यापार में संलग्न पक्षकार अर्थात् उत्पादकों, विक्रेताओं, वितरकों, कारोबारियों या सेवा प्रदाताओं के बीच समझौता, (ग) वस्तुओं के व्यापार या सेवाओं के प्रावधान के उत्पादन, बिक्री या मूल्य के नियंत्रण के प्रयासों, नियंत्रण या सीमित करने पर लक्ष्यित समझौते। भारत संघ बनाम हिन्दुस्तान विकास निगम वाद में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि "कार्टेल" उत्पादकों का ऐसा संघ है जो अपने बीच समझौते के द्वारा किसी विशिष्ट उद्योग या जिंस में एकाधिकार प्राप्त करने के लिए उत्पाद की बिक्री और मूल्य, उत्पादन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है।
4. **उद्यम:** प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रयोजनार्थ उद्यम क्या है, इसे धारा 2 (एच) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। यह वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न सरकार का कोई विभाग या कोई व्यक्ति हो सकता है। शब्द उद्यम में परमाणु ऊर्जा, मुद्रा, रक्षा और अंतरिक्ष से संबंधित केंद्रीय सरकार के विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सभी गतिविधियों को समाहित करते हुए सरकार द्वारा निष्पादित किए जाने वाले संप्रभु कृत्यों से संबंधित किसी भी कार्यकलाप को सम्मिलित नहीं किया जाता है।
5. **व्यक्ति:** शब्द व्यक्ति को बड़े व्यापक तरीके से परिभाषित किया गया है और इसमें प्रत्येक संभावित निकाय को सम्मिलित किया जाता है।

2. **प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरूपयोग:** प्रभुत्वशाली स्थिति को शक्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 में परिभाषित किया गया है, जो भारत में प्रासंगिक बाजार में किसी उद्यम द्वारा लाभ उठाई जा रही स्थिति को संदर्भित करता है, जो उस उद्यम को (एक) संबंधित बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धी ताकतों से स्वतंत्र रहते हुए प्रचालन करने में, (दो) अपने प्रतिस्पर्धियों या उपभोक्ताओं या संबंधित बाजार को अपने पक्ष में प्रभावित करने में सहायता करता है। कोई उद्यम अपनी प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरूपयोग नहीं करेगा। प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरूपयोग तब होता है जब कोई उद्यम वस्तुओं या सेवाओं की खरीद या बिक्री में कीमतों अथवा वस्तुओं या सेवाओं की खरीद या बिक्री में विभेदनकारी या अनुचित शर्तों को आरोपित करता है। पुन: प्रतिस्पर्धा अधिनियम का दर्शन इस उपबंध में परिलक्षित होता है जहां यह स्पष्ट किया गया है कि एकाधिकार की स्थिति अपने आप में सार्वजनिक नीति के विरूद्ध नहीं है परन्तु एकाधिकारवादी दर्जे का इस प्रकार से उपयोग करना कि वह संभावित और वास्तविक प्रतिस्पर्धियों के लिए हानिकारक हो, ऐसी स्थिति का प्रतिषेध किया गया है। अत:, अधिनियम प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरूपयोग का विरोध करता है न कि दुरूपयोग की स्थिति का। वास्तव में यह सही मायनों में वैश्विक और उदार अर्थव्यवस्था की तरफ एक स्वागतयोग्य कदम है। किसी भी न्यायक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा विधि के अंतर्गत प्रभुत्वशाली स्थिति को अपनेआप में बुरा नहीं समझा जाता है; हालांकि ऐसी प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरूपयोग को प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथा माना जाता है। प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरूपयोग के कृत्य अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा 2 के खण्ड (क) से (ड़) में उल्लखित हैं।
3. **संयुग्मन विनियमन:** प्रतिस्पर्धा अधिनियम को संयुग्मनों के प्रचालन और कार्यकलापों के विनियमन के लिए अभिकल्पित किया गया है और इस शब्द में अर्जन, समामेलन और आमेलन सम्मिलित हैं। अत:, प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रचालन केवल भारत की सीमाओं के भीतर होने वाले संव्यवहारों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि भारत के बाहर स्थापित और विद्यमान इकाइयों की ऐसे संव्यवहारों पर भी लागू होते हैं, जिनका प्रभाव भारत पर पड़ता है। अधिनियम में दिए अनुसार, संयुग्मनों में अर्जन, समामेलन और आमेलन सम्मिलित हैं।

प्रतिस्पर्धा-रोधी संयुग्मनों संबंधी नियंत्रण

प्रतिस्पर्धा अधिनियम में यह आवश्यक है कि किसी संयुग्मन में प्रवेश के पूर्व किसी पक्षकार को आयोग द्वारा पूर्व सूचना दी जानी आवश्यक है। आयोग को सूचना दिए जाने के बाद 210 दिन समाप्त होने तक अथवा आयोग द्वारा धारा 31 के अंतर्गत आदेश पारित किए जाने के बाद, जो भी पूर्व हो, कोई संयुग्मन प्रभावशील नहीं होगा। दी गई सूचना से अधिनियम की धारा 29. 30, 31 के अनुरूप निपटा जाएगा। सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, विदेशी संस्थागत निवेशक, बैंक या वेंचर पूंजी निधि, जो उप-धारा (4) में संदर्भित हैं, अर्जन की तारिख से सात दिवस के भीतर ऐसे विवरण, जो आयोग द्वारा विहित किए जाएं, दायर करेंगे।

संयुग्मन और प्रतिस्पर्धा पर श्लांघनीय प्रतिकूल प्रभाव

किसी संयुग्मन द्वारा मौद्रिक सीमाएं पार किए जाने के पश्चात् धारा 5(क) या (ख) या (ग) के अनुसार, अगला परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए अनुप्रयुक्त किया जाता है कि क्या यह वह संयुग्मन है जिसका भारत में संबंधित बाजार में प्रतिस्पर्धा पर श्लांघनीय प्रतिकूल प्रभाव होगा या ऐसा होने की संभावना है। अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि "कोई व्यक्ति या उद्यम ऐसे संयुग्मन में प्रवेश नहीं करेगा जिसका भारत में संबंधित बाजार में प्रतिस्पर्धा पर श्लांघनीय प्रतिकूल प्रभाव होगा या ऐसा होने की संभावना है तथा ऐसे संयुग्मन शून्य होंगे।" किसी संयुग्मन का भारत में संबंधित बाजार में प्रतिस्पर्धा पर श्लांघनीय प्रतिकूल प्रभाव होगा या ऐसा होने की संभावना है, की जाँच करने का प्रथम चरण यह है कि संबंधित बाजार और उत्पाद या सेवा के बाजार की परिभाषित किया जाए। सार रूप में, समरूपता किसी भौगोलिक बाजार की पहचान करने का परीक्षण है तथा अंतरपरिवर्तनीयता किसी उत्पाद या सेवा के लिए बाजार की पहचान करने का परीक्षण है।

किसी संयुग्मन का मूल्यांकन करना: किसी संयुग्मन का भारत में संबंधित बाजार में प्रतिस्पर्धा पर श्लांघनीय प्रतिकूल प्रभाव होगा या ऐसा होने की संभावना है, यह प्रश्न प्रत्येक तथ्य के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। धारा 20 (4) में उन कारकों का उल्लेख है जिनके आधार पर आयोग इस प्रश्न, कि भारत में संबंधित बाजार में प्रतिस्पर्धा पर श्लांघनीय प्रतिकूल प्रभाव होगा या ऐसा होने की संभावना है, का परीक्षण करता है। "संबंधित बाजार" प्रभावी प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है, जिसमें प्रतिवादी प्रचालन करते हैं। कोई भी ऐसे लाभ जो प्रतिस्पर्धा से व्युत्पन्न होते हैं तथा जो संयुग्मन के प्रतिकूल प्रभाव से अधिक होते है, उन पर विचार किया जाएगा।

4.प्रतिस्पर्धा वकालत: अधिनियम में वकालत प्रावधानों के अनुरूप, भारत में प्रतिस्पर्घा आयोग देश की आर्थिक नीतियों के निर्माण में भागीदारी के लिए सुगमित है तथा केंद्रीय सरकार आग्रह पर प्रतिस्पर्धा से संबंधित विधियों की समीक्षा करने में भागीदारी करता है ताकि प्रतिस्पर्धा वकालत को प्रोत्साहन के उपाय खोजे जा सकें, जागरूकता सृजन किया जा सके तथा प्रतिस्पर्धा मुद्दों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। प्रतिस्पर्धा वकालत को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा मुद्दों के बारे में जागरूकता सृजन करने के लिए आयोग समुचित कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित करेगा।

आयोग प्रतिस्पर्धा मुद्दों संबंधी जागरूकता सृजन और प्रतिस्पर्धा की संस्कृति का सृजन करने के लिए गतिविधियां, कार्यक्रम, अध्ययन, अनुसंधान कार्य इत्यादि हेतु हितधारकों, अकादमिक समुदाय के संगठनों को प्रोत्साहन देता है और अंतर्क्रिया करता है। देश की विधिक औऱ आर्थिक परिस्थियों के आधार पर प्रतिस्पर्धा वकालत हेतु कई संभव मूल्यवान भूमिकाएं हैं। अधिनियम के अंतर्गत विनियामकीय प्राधिकरण अर्थात् भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), अधिनियम के वकालत प्रावधानों के अंतर्गत देश की आर्थिक नीतियों के निर्माण में भागीदारी के लिए सुगम है तथा केंद्रीय सरकार के आग्रह पर प्रतिस्पर्धा से संबंधित विधियों की समीक्षा में भागीदारी करने में भी सक्षम है।

प्रतिस्पर्धा से संबंधित वर्तमान विधि या नवीन नीति निर्माण के अंतर्गत किसी नीति के संभावित प्रभाव के बारे में सीसीआई के विचार जानने के लिए केंद्रीय सरकार इसकी राय हेतु संदर्भ भी कर सकता है। इस प्रकार आयोग प्रतिस्पर्धा वकील की भूमिका ग्रहण कर लेगा तथ उन सरकारी नीतियों को लाने में अग्रसक्रिय भूमिका निभाएगा जो व्यवसाय में प्रवेश की बाधाएं कम करते हैं, जो विनियमन और व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देते हैं तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में एक प्रतिस्पर्धा वकालत शीर्षक वाले अध्याय के अंतर्गत एक धारा में अंतर्विष्ट है।

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) और प्रतिस्पर्धा विधि: प्रतिस्पर्धा विधि और आईपीआर के बीच संबंधों को अक्सर "असंतुष्ट विवाह" माना जाता है क्योंकि आईपीआर प्रतिबंधों को चुनाव करते हैं जबकि प्रतिस्पर्धी विधिक अनन्यता का अनुप्रयोग करते हैं। आईपीआर का उद्देश्य नवोन्मेष करने वाले उद्यमों और व्यक्तियों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। आईपीआर उपभोक्ताओं को हानि पहुँचा सकते हैं क्योंकि यह कीमतों को ऊंची दरों पर निर्धारित करते हैं। आईपीआर का तर्कसंगत उपयोग प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों से संबंधित धारा 3 से संबंधित कठोर नियमों से मुक्त है, धारा 4 आईपीआर धारकों पर समान रूप से लागू होती है यदि आयोग द्वारा समझा जाता है कि ऐसे अधिकार धारक को संबंधित बाजार में प्रभुत्वशाली खिलाड़ी के रूप में सक्षम बनाते हैं।

आईपीआर और प्रतिस्पर्धा विधि के उद्देश्यों के बीच टकराव है। प्रतिस्पर्धा विधि एकाधिकारवादियों को सीमित करके सामाजिक कल्याण में अभिवृद्धि करती हैं जबकि आईपीआर अस्थायी एकाधिकार (अनन्य रूप से) प्रदान करके सामाजिक कल्याण को बाधित करता है। क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाधर समझौतों पर प्रतिषेध प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, पेटेंट अधिनियम, व्यापार और वाणिज्य प्रतीक चिन्ह, डिजाइन अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करने में तर्कसंगत प्रतिबंधों को आरोपित करने से किसी व्यक्ति को रोकता नहीं है।

तर्क का नियम: तर्क का नियम एक विधिक उपागम है जहां यह निर्धारित करने के लिए क्या कोई प्रथा प्रतिषेधित है या नहीं, को ज्ञात करने के लिए प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रभाव के विरूद्ध किसी प्रतिबंधात्मक व्यवसाय प्रथा की प्रतिस्पर्धा—उन्मुखी विशेषताओं का मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। तर्क के नियम के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा का प्रभाव किसी विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर खोजा जाता है तथा बाजार स्थिति पर इसके प्रभाव का आकलन किया जाता है। हालांकि, कतिपय प्रकार के समझौतों के अंतर्गत सामान्यतया पूर्वधारणा यह है कि वे किसी उपयोगी या प्रतिस्पर्धापरक प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकते हैं। इस पूर्वधारणा के कारण, विधिनिर्माता ऐसे समझौतों को "तर्क के नियम" परीक्षण के विषयाधीन नहीं रखते हैं।

स्वत: का नियम: स्वत: के नियम का अर्थ है किसी समझौते या प्रथा में गैर-विधिकता ज्ञात करना। क्षैतिजीय समझौते, जिनमें कार्टेल की सदस्यता शामिल है, प्रतिस्पर्धा पर अतार्किक प्रतिबंधों को बढ़ाने वाले माने जाते हैं, अत: इनका प्रतिस्पर्धा पर श्लांघनीय प्रतिकूल प्रभाव होता है। दूसरे शब्दों में, वे दरअसल गैर-विधिक होते हैं। स्वत: गैर-विधिकता का अर्थ है कि विवेकाधीनता के लिए सीमित स्थान होगा और अभियोजन एवं अधिन्यायन प्राधिकरणों के लिए व्याख्या की संभावना कम होगी। किसी समझौते या प्रथा का प्रतिस्पर्धा पर श्लांघनीय प्रतिकूल प्रभाव होगा या नहीं, यह जाँच करने के लिए अधिन्यायन प्रयोजनों हेतु अधिनियम निम्नलिखित कारकों को सूचीबद्ध करता है: बाजार में नवीन प्रवेशकों हेतु बाधाओं का निर्माण, बाजार से वर्तमान प्रतिस्पर्धीयों को बाहर करना, बाजार में प्रवेश को बाधित करके संभावित प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना, वस्तुओं या सेवाओं के वितरण या उत्पादन में सुधार करना।

2. सारांश

विधि मानव व्यवहार, चाहे वो सामाजिक हो या व्यवसायिक, विनियमित करने का उपकरण है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के उद्भव के साथ प्रतिस्पर्धा विधि की भूमिका बढ़ गई है तथा बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धा विधि को अधिनियमित किया गया था। प्रतिस्पर्धा विधि को एक मायने में "नई बोतल में पुरानी शराब" कहा जा सकता है कि क्योंकि प्रतिस्पर्धा अधिनियम ने पुराने एमआरटीपी अधिनियम का स्थान लिया था।

बाजार के खिलाड़ियों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता कल्याण और लाभ को बढ़ावा मिलता है। सस्ता या कम मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता की एकमात्र कसौटी नहीं है तथा साथ ही, उपभोक्ता को उसके मूल्य के बदले उच्चतम गुणवत्ता की सामग्री, उपयोगिता, पर्याप्त चुनाव, त्वरित बिक्री पश्चात् सेवा तथा वस्तुओं या सेवा की विशिष्ट प्रकृति के आधार पर अन्य संबंधित लाभ मिलने चाहिए। इससे उपभोक्ता की संतुष्टि वस्तु या सेवा के बारे में बढ़ेगी। कठोर विनियामकीय उपायों के अभाव में, आपूर्तिकर्ता बाजार में प्रभुत्व स्थापित करने और उपभोक्ताओं का शोषण करने का प्रयास करेंगे। विधि अपना प्रयोजन तभी करेगी जब इसका निर्माण स्वतंत्र रूप से किया जाएगा, इसका संचालन स्वतंत्र रूप से होगा और यह कम खर्चीला होगा। यही प्रतिस्पर्धा अधिनियम को समझने की कुँजी है। इस विधान का उद्देश्य समस्त एकाधिकार को समाप्त करना नहीं है। प्रतिस्पर्धा विधि सीमापार आर्थिक आतंकवाद को समाप्त करने की प्रणाली है। भारतीय प्रतिस्पर्धा विधि को व्यापार के नियम के रूप में मुक्त और निर्बाध प्रतिस्पर्धा का संरक्षण करने पर लक्ष्यित आर्थिक स्वतंत्रता के समग्र चार्टर के रूप अभिकल्पित किया गया है तथा प्रतिस्पर्धी शक्तियों की अबाधित अंतर्क्रिया निम्नतम कीमतों, उच्चतम गुणवत्ता और महत्तम भौतिक प्रगति के प्रतिमानों पर देश के आर्थिक संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ आवंटन सुनिश्चित करेगी।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का उद्देश्यों और कारणों का कथन देखें।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, धारा 3
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, धारा 4
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 और 6
प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौता (एसीए), प्रभुत्व स्थिति के दुरुपयोग का निषेध (एडी)।
विलय और समामेलन, अधिग्रहण और अधिग्रहण (एमएएटी)
क्षैतिज समझौते: ये उन प्रतिस्पर्धियों के बीच होते हैं जो उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि के एक ही स्तर पर होते हैं। इन्हें अवैध माना जाता है। उदाहरण: कार्टेल, बोली में हेराफेरी, कपटपूर्ण बोली, बाज़ारों का बंटवारा, आदि।
उर्ध्वाधर समझौते: वर्टिकल समझौते उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि के विभिन्न चरणों में पक्षकारों के बीच होते हैं। इन्हें अवैध नहीं माना जाता है; तर्क के नियम के अधीन हैं। उदाहरण: टाई-इन व्यवस्था, विशेष आपूर्ति/वितरण समझौते, सौदे से इनकार, पुनर्विक्रय मूल्य रखरखाव।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 का खण्ड (2)
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 2(बी) कहती है कि "समझौते" में कोई भी व्यवस्था या समझ या सामूहिक कार्रवाई शामिल है-
(i) क्या ऐसी व्यवस्था, समझ या कार्रवाई औपचारिक या लिखित है या नहीं; या
(ii) क्या ऐसी व्यवस्था, समझ या कार्रवाई कानूनी कार्यवाही द्वारा लागू करने योग्य है या नहीं;
शिकागो शहर का व्यापार मंडल बनाम यूएस, 246 यूएस 231
हरिदास एक्सपोर्ट्स बनाम ऑल इंडिया फ्लोट ग्लास मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, (2002) 111 कॉम्प। वाद संख्या 617 (एससी)
(ए) बाजार में नए प्रवेशकों के लिए बाधाओं का निर्माण; (बी) मौजूदा प्रतिस्पर्धियों को बाज़ार से बाहर निकालना; (सी) बाजार में प्रवेश में बाधा डालकर प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाना; (डी) उपभोक्ताओं को लाभ का उपार्जन; (ई) वस्तुओं के उत्पादन या वितरण या सेवाओं के प्रावधान में सुधार; (एफ) वस्तुओं के उत्पादन या वितरण या सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से तकनीकी, वैज्ञानिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
धारा 2(सी) "कार्टेल" में उत्पादकों, विक्रेताओं, वितरकों, व्यापारियों या सेवा प्रदाताओं का एक संघ शामिल है, जो आपस में समझौते से, माल या सेवाओं के प्रावधान के उत्पादन, वितरण, बिक्री या कीमत या व्यापार को सीमित, नियंत्रित या नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं।

(1994 एआईआर 988: 1993 एससीआर (3) 128

धारा 2(1) कहती है, "व्यक्ति में एक व्यक्ति शामिल है; एक हिंदू अविभाजित व्यक्तियों का एक संघ या एक निकाय परिवार, एक कंपनी; एक फर्म; व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का एक निकाय, चाहे वह भारत में या बाहर निगमित हो या नहीं भारत; किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित कोई निगम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में या उसके तहत निगमित एक सरकारी कंपनी; भारत के बाहर किसी देश के कानूनों के तहत निगमित कोई भी निकाय; सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति, जो पूर्ववर्ती उप-खंडों में से किसी के अंतर्गत नहीं आती है;

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, धारा 4(1)

अनुचित या भेदभावपूर्ण शर्तें या कीमत लगाती है, वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं या बाजार के प्रावधान को सीमित या प्रतिबंधित करती है: वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित तकनीकी या वैज्ञानिक विकास या, अभ्यास या प्रथाओं में शामिल होती है जिसके परिणामस्वरूप बाजार पहुंच से मनाही होती है, सशर्त अनुबंध नहीं होती है। ऐसे अनुबंधों के विषय के साथ संबंध; या अन्य संबंधित बाज़ार में प्रवेश करने या उसकी रक्षा करने के लिए एक संबंधित बाज़ार में प्रभुत्वशाली स्थिति का उपयोग करना।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, धारा 6(2)

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, धारा 6(2ए)

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, धारा 6(3)

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, धारा 6(4)

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, धारा 6(5)

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, धारा 6(1)

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, धारा 2(आर), (एस), (टी)

टी. रामप्पा, भारत में प्रतिस्पर्धा कानून नीति, मुद्दे और विकास 231 (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस नई दिल्ली तीसरा संस्करण) स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफ़ोर्निया एंड अदर्स बनाम यू.एस. 293

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, धारा 49(3)

कुंडू, अभीप्सिता, 'मालिकों का अधिकार बनाम मालिकों का एकाधिकार: आईपीआर प्रतिस्पर्धा इंटरफ़ेस'। सीएनएलयू लॉ जर्नल, वॉल्यूम, 3 (2013):60

आईपीआर कानून एकाधिकारवादी अधिकार बनाते हैं, जबकि प्रतिस्पर्धा कानून इसका मुकाबला करता है या इसका मुकाबला करता है।

विश्व बैंक: औद्योगिक संगठन, अर्थशास्त्र और प्रतिस्पर्धी कानून की शब्दावली।

टी. रामप्पा, भारत में प्रतिस्पर्धा कानून नीति, मुद्दे और विकास 93 (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, तीसरा संस्करण, 2014)

स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ न्यू जर्सी बनाम यूएस [1911] 221यूएस 1, शिकागो शहर का व्यापार बोर्ड बनाम, यूएस 246 यूएस (1918), टेल्को लिमिटेड बनाम प्रतिबंधात्मक व्यापार समझौतों के रजिस्ट्रार (1997) 2 एससीसी55

इनमें किसी संयुक्त गतिविधि या समझौते के परिणामस्वरूप प्रस्तुत की गई निविदाएं शामिल हैं

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 एस. 3(3)

ड्राई स्टोन पाइप और स्टील बनाम यूएस 175 यू.एस. 211 (1899), उत्तरी पीएसी। आर. कंपनी बनाम युनाइटेड स्टेट्स, 356 यू.एस. 1, जेफरसन पेरिस अस्पताल जिला। नंबर 2वी हाइड 466 यू.एस. 2 (1984

प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 धारा 19(3)